



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2024/डी- १४०

दिनांक २५.१.२५

मैसर्स ओआरजी प्रोजेक्ट्स एलएलपी
पता 167, केस्ट तृतीय तल होटल रॉयल ललित के सामने,
आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर
जरिये निदेशक श्री अनिल गुप्ता पुत्र श्री सन्तुलाल गुप्ता
निवासी प्लॉट नं. एचई-15सी, हनुमान नगर विस्तार
सिरसी रोड, वैशाली नगर, जयपुर व
श्री खांगाराम पुत्र श्री पांचू
निवासी वार्ड नं. 12, बिन्दायका,
जिला जयपुर

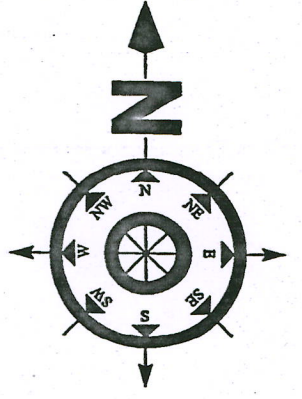
विषय :- ग्राम निमेडा तहसील कालवाड के ख.नं. 648/357 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख.नं. 650/360 रकबा 0.1138 है., ख.नं. 654/651 रकबा 0.0316 है., ख.नं. 655/651 रकबा 0.3667 है., ख.नं. 656/651 रकबा 0.0190 है. व ख.नं. 661/652 रकबा 0.2024 है. कुल 6 कुल रकबा 0.7841 हैक्टयर में स्थित आवासीय योजना "आदर्श नगर प्राईम" का मानचित्र जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत के कम में आप द्वारा प्रस्तुत ग्राम निमेडा तहसील कालवाड के ख.नं. 648/357 रकबा 0.0506 हैक्ट., ख.नं. 650/360 रकबा 0.1138 है., ख.नं. 654/651 रकबा 0.0316 है., ख.नं. 655/651 रकबा 0.3667 है., ख.नं. 656/651 रकबा 0.0190 है. व ख.नं. 661/652 रकबा 0.2024 है. कुल 6 कुल रकबा 0.7841 हैक्टयर में स्थित आवासीय योजना "आदर्श नगर प्राईम" आवासीय योजना का मानचित्र अनुमोदन बीपीसी (एलपी) की 342वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को किया जा चुका है। अनुमोदित योजना के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के भूखण्डों को जविप्रा के पक्ष में रहन रखा गया है, उन भूखण्डों का विक्रय विकासकर्ता द्वारा उक्त सम्पूर्ण योजना के आन्तरिक विकासकार्य पूर्ण होने पर रहन मुक्त कराकर किया जावेगा। अनुमोदित मानचित्र की प्रति पत्र के साथ सलंग्न है।

सलंग्न :- उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PROPOSED LAYOUT PLAN OF SCHEME ADARSH NAGAR PRIME AT VILL. NIMEDA TEH.-KALWAR,JAIPUR



SCALE:-1=500

ZDP ROAD 30 MTR WIDE

802/230

618/357

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

सुपर इम्पोज जोन
पट्टा नं. 12
ज.वि.प्र. जयपुर

नोट

1. कार्नर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
2. आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 18.09.2023 को हो चुकी है।
3. योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 12, 22, 37 कुल भूखण्ड 3 कुल क्षेत्रफल 587.48 वर्गमीटर है, को जविप्रा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
5. योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 342 वीं बैठक दिनांक 26.09.2023 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
6. इनफॉर्मल कॉमर्शियल भूखण्ड की प्लानिंग 647/354 पार्किंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं बी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ.नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार जावेगा।
7. योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के आवासीय दर्शित है।
8. योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
9. बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जविप्रा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

उप नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

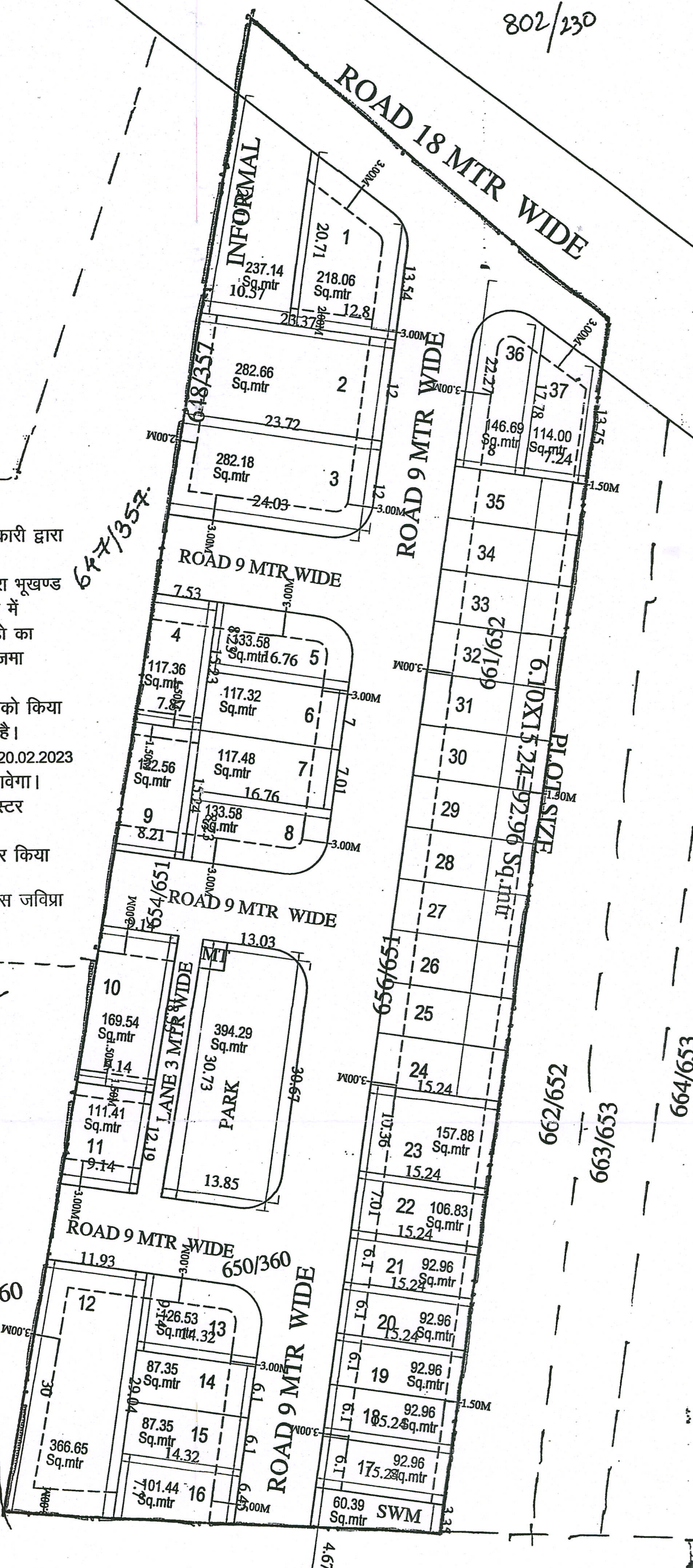
उपायुक्त
जोन-12

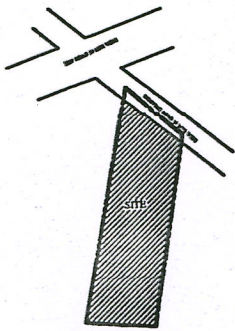
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

649/360

594/360



KEY-PLAN						
KEY PLAN NOT TO SCALE						
						
KHASRA PLAN						
						
मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार नू उपयोग भूखण्डों की निर्माण स्थिति :- आवासीय व्यावसायिक 1. आवासीय / औद्योगिक निर्मित भूखण्ड 2. चार दीवारी निर्मित भूखण्ड 3. खाली भूखण्ड नूके के अनुसार योजना का नू उपयोग व तकनीकी विवरण :-						
S.NO.	LAND USE	AREA (Sq.mtr)	%			
1	RESIDENTIAL	4679.90	59.68%			
2	INFORMAL	237.14	03.02%			
3	PARK	394.29	05.03%			
5	S.W.M.+M.T.	70.39	00.90%			
6	ROAD	2459.28	31.37%			
TOTAL SCHEME AREA		7841.00	100.00%			
योजना की भूमि की रा.भू.रा. अधिनियम की धारा 90A की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणीकरण पेटे द्वारा किया गया योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। नाम तहसीलदार उपयुक्त जोन:- बी.पी.सी. / जी. एच. सी. की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।						
NAME OF SCHEME :-ADARSH NAGAR PRIME AT VILL. NIMEDA TEH. :- KALWAR, JAIPUR.						
ZONE NO.		SECTOR NO.				
SCALE:-1=500		DRG. NO.				
<table><tr><td>A.T.P. ZONE</td><td>D.T.P.</td><td>S.T.P.</td></tr></table>				A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.
A.T.P. ZONE	D.T.P.	S.T.P.				
JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR						